

नई पहल

- * दि. 01/07/2019 से ई.एस.आय.सी. अंशदान दर 6.5% से घटाकर 4% कर दिया है। नियोजकों का अंशदान दर 3.25% और कर्मचारियों का अंशदान दर 0.75% है।
- * ई.एस.आय.सी. योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए अहमदनगर महानगरपालिका एवं एम.आय.डी.सी. क्षेत्र और सुपा, पारनेर, श्रीरामपुर एम.आय.डी.सी. क्षेत्र में ई.एस.आय.सी. योजना लागू कर दी गई है।
- * जल्द ही सिन्नर और अहमदनगर क्षेत्र में दवाखाना सह शाखा कार्यालय कार्यान्वित होने जा रहे हैं।
- * अंत्येष्टि खर्च मार्च 2019 से रु. 10,000/- से बढ़ाकर रु. 15,000/- किया गया है।
- * अहमदनगर क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर आयुष्यमान भारत योजना के अंतर्गत ई.एस.आय.सी. के बीमित व्यक्तियों को इलाज की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।
- * ई.एस.आय.सी. के वेब पोर्टल पर कर्मचारियों के लिए अपनी जानकारी पाने के लिए लिंक उपलब्ध की गई है।
<http://www.esic.in/employeeportal/login.aspx>

मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आय.जी. मार्ग,
नयी दिल्ली-110 002

वेबसाइट : www.esic.nic.in, www.esicmaharashtra.gov.in

ई-मेल : jd-nasik@esic.nic.in

टोल फ्री नंबर : 1800-11-2526

चिकित्सा सेवा : 1800-11-3839

IP
VIP

ई.एस.आय.सी.-2.0
चिंता से मुक्ति

शाखा कार्यालय, सातपुर

प्लॉट नं. पी-4, पंचदीप भवन, ब्रंबक रोड,
एम.आय.डी.सी. सातपुर, नासिक -422 007
फोन नं. 0253-2350383

शाखा कार्यालय, अंबड

15/16, प्रथम तल, लोटस् रेसिडेन्सी, कार्तिक सेक्टर,
के. ए.-1, अश्विन नगर, सिडको, नासिक - 422 009
फोन नं. 0253-2373904

ई.एस.आय.एस. दवाखाना

ई.एस.आय.एस. दवाखाना - अशोकस्तंभ : कृषिभवन,
प्रथम तल, एन.डी.सी.सी. बैंक के पास,
मुख्य प्रशासनिक भवन, द्वारका, नासिक - 422 011

ई.एस.आय.एस. दवाखाना - प्रथम तल, प्रशासनिक
बिल्डिंग, नासिक महानगरपालिका, नासिक रोड-422 101

ई.एस.आय.एस. दवाखाना - अस्पताल परिसर,
सातपुर, नासिक - 422 007

ई.एस.आय.एस. दवाखाना - सी.एफ.सी. बिल्डिंग,
एम.आय.डी.सी. अंबड, नासिक - 422 010

-: चिकित्सा उपचार हेतु संपर्क :-

चिकित्सा अधीक्षक, राज्य कामगार बीमा योजना अस्पताल,
ब्रंबक रोड, सातपुर, नासिक-422 007

फोन नं. 0253-2351045/2351114/2351115



कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

उप-क्षेत्रीय कार्यालय, नासिक
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन,
ब्रंबक रोड, सातपुर, नासिक-422 007
फोन नं. 0253-2351043



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार Government of India

हितलाभ	अंशदान शर्तें	अवधि	दर
चिकित्सा हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को चिकित्सा देखरेख की पर्याप्त सुविधाएँ।	बीमायोग्य रोजगार में बने रहने तक उनकी संपूर्ण चिकित्सा देखरेख।	
बीमारी हितलाभ	संगत अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान भुगतान आवश्यक।	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक।	औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत।
वर्धित हितलाभ	संगत अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान भुगतान आवश्यक।	महिला नसबंदी के लिए 14 दिनों एवं पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिनों तक देय।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 विनिर्दिष्ट लंबी अवधि वाले बीमारियों के लिए। 1) पूर्ववर्ती दो वर्षों का लगातार बीमायोग्य रोजगार आवश्यक। 2) पूर्ववर्ती लगातार 4 अंशदान अवधि में न्यूनतम 156 दिनों का अंशदान देना आवश्यक।	प्रारंभिक तौर पर 124 दिनों के लिए चिकित्सा परामर्श के आधार पर 309 दिनों और 730 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत।
अपंगता हितलाभ	1) अस्थायी अपंगता हितलाभ 2) स्थायी अपंगता हितलाभ	अस्थायी अपंगता के बने रहने तक देय। आजीवन देय।	90 प्रतिशत। औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत तक चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के अनुरूप।
आश्रितजन हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में आने के पहले दिन से रोजगार चोट की वजह से होनेवाली अपंगता हेतु देय।	विधवा के लिए आजीवन या पुनर्विवाह तक, बेटों को उम्र के 25 वर्ष की आयु तक और बेटियों को विवाह होने तक देय।	औसत दैनिक मजदूरी का 90% जो कि सभी आश्रित-जनों के बीच निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा।
मातृत्व हितलाभ	लगातार 1 या 2 पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में न्यूनतम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान आवश्यक।	प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक देय। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक देय।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
प्रसव व्यय	यदि प्रसव ऐसे स्थान पर हो जहाँ क. रा. बी. योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बीमाकृत महिला या बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को देय।	केवल दो प्रसव के लिए देय।	रुपये 5,000/- प्रति मामला।
अंत्योष्ठि व्यय	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से।	बीमाकृत व्यक्ति के परिवारजन / उत्तराधिकारी / वास्तविक व्यय करनेवाले व्यक्ति को देय।	वास्तविक व्यय / 15,000/- दोनों में से जो कम हो।
व्यावसायिक प्रशिक्षण	रोजगार चोट की वजह से स्थायी अपंगता की स्थिति में देय।	व्यावसायिक प्रशिक्षण के चलने तक देय।	वास्तविक प्रभारित शुल्क या रुपये 123 प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।
शारीरिक पुनर्वास	रोजगार चोट की वजह से स्थायी अपंगता की स्थिति में देय।	कृत्रिम अंग केंद्र में व्यक्ति के दाखिल रहने तक देय।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
बेरोजगारी भत्ता (रा. गा. श्र. क. योजना)	1) कारखाने के बंद होने के स्थिति में। 2) छंटनी या गैर-रोजगार चोट की वजह से हुई स्थायी शारीरिक अपंगता के कारण रोजगार की अस्वच्छिक हानि की स्थिति में। 3) पूर्ववर्ती 4 अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान आवश्यक।	60 वर्ष की आयु होने से पहले या अधिकतम 24 माह तक देय।	पहले 12 महीनों में औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत। 13 से 24 महीनों तक औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत।
अटल बीमित व्यक्ति योजना	1) कर्मचारी बेरोजगार होने पर। 2) लगातार 2 वर्षों तक रोजगार में होना आवश्यक और पिछले 4 अंशदान अवधि तथा प्रत्येक अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान आवश्यक।	60 वर्ष उम्र होने से पहले एवं अधिक से अधिक 90 दिन तक देय।	औसत दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत।